

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 223/2025

सतपाल सिंह पुत्र मखन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मखन सिंह पुत्र श्री मुन्शी सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. निशान सिंह पुत्र श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बलजीत कौर पुत्री श्री मखन सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मंहावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 1 एनकेआर के खाता संख्या 41/100 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 मखन सिंह पुत्र मुन्शी सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी सतपाल सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज........नल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....  
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...9.6.2022...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
हनुमानगढ़